classmate
Date
Page

DATE: 25/09/2020

CLASS: B.A.(H) PART-2ND

SUBJECT: POLITICAL SCIENCE

PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)

CH: 09 (SUPREME COURT: ~~JURISDICTION~~)

LECTURE NO.-19

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SCIENCE
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

न्यायिक सक्रियता

कार्यपालिका द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने तथा मनमाने तरीके से कार्य करने की वजह से न्यायपालिका में न्यायिक सक्रियता का उदय हुआ।

न्यायिक सक्रियता नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण और समाज में न्याय को बढ़ावा देने में न्यायपालिका द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को दर्शाती है।

न्यायिक सक्रियता एक बहुलवादी समाज में न्यायिक दृष्टिकोण की एक गतिशील प्रक्रिया है। इसीलिए इसे 'न्यायिक गतिशीलता' के रूप में भी जाना जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्रायः 'न्यायिक संयम' के विपरीत अर्थों में किया जाता है। यह न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने का एक तरीका है जो न्यायाधिशों को सामान्य रूप से प्रगतिशील और नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में न्यायिक मिसाल के कड़ाई से पालन करने के लिए प्रेरित करता है।

न्यायिक सक्रियता की अवधारणा लोकहित याचिका (PIL) की अवधारणा से निकटता से सम्बंधित है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता लोकहित याचिका (PIL) के उदय का प्रमुख कारक है।

Scanned with CamScanner

दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लोकहित याचिका या जनहित याचिका (PIL) न्यायिक सक्रियता का ही परिणाम है। वास्तव में जनहित याचिका (PIL) न्यायिक सक्रियता का सबसे लोकप्रिय रूप या अभिव्यक्ति है।

न्यायिक सक्रियता की अवधारणा विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। एक अमेरीकी इतिहासकार आर्थर श्लेसिंगर जूनियर ने जनवरी 1947 में फॉर्च्यून पत्रिका में प्रकाशित "द सुप्रीम कोर्ट : 1947" शीर्षक लेख में पहली बार "ज्यूडिशियल एक्टिविज्म" (Judicial Activism) शब्द का प्रयोग किया था।

भारत में, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा को 1970 के दशक के मध्य से अपनाया जाने लगा। न्यायमूर्ति वी० आर० कृष्णा अय्यर, न्यायमूर्ति पी० एन० भगवती, न्यायमूर्ति ओ० चिन्नाप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति डी० ए० देसाई ने न्यायिक सक्रियता की नींव रखी।

Black's Law Dictionary के अनुसार, न्यायिक सक्रियता एक 'न्यायिक दर्शन' है जो न्यायाधीशों को पारंपरिक पूर्व-दृष्टांतों या निर्णय से हटकर प्रगतिशील और नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में आगे बढ़ने को प्रेरित करती है।"

विगत कुछ वर्षों में न्यायालय ने अपनी न्यायिक सक्रियता के द्वारा नागरिक अधिकारों, व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा, राजनीतिक भेदभाव और सार्वजनिक नैतिकता जैसे विषयों पर सामाजिक नीति को आकार देकर सक्रिय भूमिका निभाई है और विधि निर्माण में नए आयाम को प्राप्त किया है।

Next →

Scanned with CamScanner

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से सम्बंधित मामलों समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णय दिए है, जो न्यायिक सक्रियता के उदाहरण है।

जैसे- एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अनु० 21 में शामिल 'जीवन' (Life) शब्द की व्याख्या केवल जीवित रहने या जैविक अस्तित्व तक सीमित रूप से करने की बजाय गरिमापूर्ण मानव जीवन के रूप में की। न्यायालय ने कहा कि जीवन के अधिकार में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। मानवीय गरिमा के लिए बुनियादी आवश्यकताओं का पूरा होना सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन की बुनियादी जरूरतों में पर्याप्त पोषण, वस्त्र, आवास, पढ़ाई-लिखाई एवं विभिन्न तरीकों से स्वयं को अभिव्यक्त करने की सुविधा, निर्बाध विचरण और लोगों के साथ घुलने-मिलने की स्वतंत्रता भी शामिल है।

आर० राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में एक नए अधिकार 'निजता का अधिकार (Right to Privacy) को अनु० 21 में शामिल माना गया। न्यायालय ने कहा कि किसी नागरिक को अन्य विषयों के साथ स्वयं की, परिवार की, विवाह, संतानोत्पत्ति, मातृत्व, गर्भधारण, शिक्षा आदि के सम्बंध में निजता की रक्षा का अधिकार प्राप्त है।

इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने सोने का अधिकार, आजीविका अधिकार, सुरक्षित पेयजल का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार को अनु० 21 का अंग माना है।

इस प्रकार उपर्युक्त निर्णयों से स्पष्ट होता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने काफी गतिशीलता का परिचय दिया है।

× × ×

Scanned with CamScanner